


उत्तराखण्ड शासन  
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  
संख्या: 1054 /XVII(4)/2012/1265/09  
देहरादून, दिनांक 23 अप्रैल, 2012  
कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 की धारा-16 के अन्तर्गत शासन स्तर से किये जाने वाले महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु निम्नवत स्थानान्तरण समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर तक का अधिकारी- सदस्य
3. संयुक्त सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग - उत्तराखण्ड शासन। सदस्य

  
(डा० हेमलता ढौंडियाल)  
सचिव

संख्या: (1)/XVII(4)/2012/तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(टीकम शिव पवार)  
सहायक सचिव